फर्द अहकाम

राधू वगै० बनाम रमेश वगै०

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू

न संख्या : 408/13 प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	17/6/16	आज यह पत्रावली 'न्याय आपके द्वार' राजस्व कैम्प कोर्ट के दौरान पेश हुई, चूंकि प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का निस्तारण निर्धारित अवधि में किया जाना होता है, **पक्षकारान** को विधिवत् नोटिस तामील हो चुके है। अदालत के दृष्टिकोण में मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी व अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0काश्त0 अधिनियम को, आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 871 ग्राम पंचायत गिरधरपुरा, तह० मौजमाबाद जिला - जयपुर की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। एक–दूसरे की कब्जा–काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें। अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द रहें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम हो। (सावन कुमार वार्ष्णेय) सहायक कलेक्टर (फा.ट्रेक) दूदू	

Scanned by CamScanner